

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/ /2025 दि0 लखनऊ: नवम्बर 06, 2025

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के आदेशांक 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 के द्वारा माह नवम्बर, 2025 में जनपद मुजफ्फरनगर में युगलपीठ का गठन दिनांक 10-11-2025 से 13-11-2025 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 प्रयागराज को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ-1, प्रयागराज के द्वारा दिनांक 10-11-2025 से 13-11-2025 तक पोर्टल के माध्यम से आकस्मिक अवकाश आवेदित किया गया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1274/2025 दिनांक 08-10-2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद मुजफ्फरनगर में गठित युगल पीठ दिनांक 10-11-2025 से 13-11-2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-06.11.2025

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1308/2025 दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, प्रयागराज।
- 3- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।